2017/000094

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी: श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 3/2017 (प्रार्थना पत्र)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

1. मोहम्मद रफीक पिता मुस्तकीम खां जाति मुसलमान हाल निवासी सोना वाले इश्हाक का मकान नारायण वाली गली मस्जिद के पास बजाज खाना कोटा
2. अब्दूल सत्तार पुत्र मो0 इश्हाक
3. अब्दूल वहीद पुत्र मो0 इश्हाक
4. ताहिरा बानो पुत्री मो0 इश्हाक
5. साहिरा बानो पुत्री मो0 इश्हाक
6. हमीदन पुत्री मो0 इश्हाक
7. हजारा पुत्री मो0 इश्हाक
8 वहीदन पुत्री मो0 इश्हाक
9. सहीदन पुत्री मोहम्मद इश्हाक (मृतक) जरिये कायम मुकामान
   9/1 जूबो बानो पुत्री सईफा
   9/2 मुन्नीबाई पुत्री सईफा जाति मुसलमान निवासी नारायण वाली गली मस्जिद के पास बजाज खाना कोटा
10. अब्दूल कादीर पुत्र आबिद हुसैन
11. आदिल पुत्र आबिद हुसैन
12. सोहेल पुत्र आबिद हुसैन
13. नसरीन पुत्री आबिद हुसैन
14 जरीना बानो बेवा आबिद हुसैन

जाति मुसलमान हाल निवासीगण रामपुरा कोटा

(अप्रार्थी)

उपस्थित :– 1. श्री गोविन्द सिंह (राजकीय अभिभाषक)
2. श्री रामबाबू मालव (अभिभाषक अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970) के नियम 14 (4) एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के संशोधित नियम 1957 के नियम 17 व 22 के अन्तर्गत आवंटन निरस्तीकरण बाबत

निर्णय दिनांक :10.12.2019

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ नियम 1970) नियम 14 (4) एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के संशोधित नियम 1957 नियम 1957 के नियम 17 व 22 के अन्तर्गत आवंटन निरस्तीकरण प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये कि मो0

इस्हाक व मो0 रफीक को ग्राम कोटसुवा की आराजी खसरा नं0 456/3 रकबा 1 बीघा, खसरा नं0 256/2 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 512/5 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 512/6 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा आवंटित की गई थी । उक्त भूमि पर सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नये खसरा नं0 608/966 रकबा 0.45 है0, खसरा नं0 1172 रकबा 0.79 है0, खसरा नं0 1367/1 रकबा 0.42 है0 कुल रकबा 1.66 है0 कायम किए जो वर्तमान मे अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी मे दर्ज है ।वर्तमान मे उक्त आराजी पर आवंटियों का कब्जा नही होकर नाथू पुत्र कालू मुसलमान निवासी कोटसुवा का कब्जा है । नाथू ने उक्त आराजी जर्ये इकरारनामे से क्रय करना बताया है । इस प्रकार आवंटियों द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही करने से उक्त आवंटन निरस्तनीय होने से आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

2. इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.01.2015 से प्रार्थना पत्र प्रामाणिक तथ्यों के अभाव में एवं विधि सम्यक नही होने तथा मृतक व्यक्तियों के विरूद्व श्रवण योग्य नही होने से खारिज किया गया था । तहसीलदार दीगोद द्वारा मृतक अप्रार्थीगण के कायम मुकामान अंकित करते हुए पुनः आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है ।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से श्री रामबाबू मालव अभिभाषक द्वारा वकालत नामा पेश किया गया ।

4. राजकीय अभिभाषक व विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी को आवंटी जो गैरखातेदार था द्वारा नाथू पुत्र कालू मुसलमान नि0 कोटसुवा को जर्ये इकरारनामे से बेचान कर दी है । इस प्रकार आवंटियों द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही करने से उक्त आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

6. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस मे जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के वर्तमान मे गैर खातेदारी मे दर्ज है जो पूर्व खातेदार मो0 इस्हाक व मो0 रफीक के वारिसान है और उक्त वारिसान ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है । तहसीलदार द्वारा आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2015 को निरस्त कर दिया गया है । उसके पश्चात प्रार्थी द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए पुनः अप्रार्थीगण के विरूद्व आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो वैधानिक रूप से चलने योग्य नही है । न्यायालय द्वारा एक निर्णय पारित करने के पश्चात पुन' उसी भूमि के सम्बन्ध मे एवं उन्ही आधारो पर सुनने का अधिकार एवं निर्णय पारित करने का अधिकार प्राप्त नही होने से चलने योग्य नही है और वैसे भी प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नही होने से भी उक्त प्रार्थना पत्र पोषनीय नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है । मो0 इस्हाक व मो0 रफीक द्वारा किसी भी प्रकार का बेचान प्रार्थी को नही किया गया है, जिस तथाकथित दस्तावेज के आधार पर बेचान करना बताया जा रहा है उक्त दस्तावेज फर्जी एवं बनावटी दस्तावेज है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया ।

7. पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया । विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया । पूर्व मे इस न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30.01.2015 से अप्रार्थी द्वारा नीलामी मे विक्रय आराजी की किस शर्त का उल्लघंन किया गया व अप्रार्थीगण 1/1 एवं 1/9 के कायम मुकाम का पक्षकार नही बनाने तथा प्रार्थना पत्र प्रमाणिक तथ्यों के अभाव मे खारिज की गई थी । न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 30.01.2015 के क्रम मे तहसीलदार दीगोद द्वारा विवादित आराजी का आवंटन निरस्त करने हेतु पुनः प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.04.2017 को न्यायालय मे पेश किया तथा भूमि का अवैध रूप से बेचान किये जाने, कब्जा क्रेता को दिये

जाने, आवंटी का सद्भावी कृषक नही होने व कब्जा काश्त नही होने से आवंटन निरस्त करने का आवेदन किया । परन्तु चूंकि प्रश्नगत आराजी व संबंधित पक्षकारो के मध्य इस न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 5/2015 नाथू बनाम आबिद वगे0 में भूमि का अप्रार्थीगण द्वारा नाथू को अवैध बेचान किया जाना साबित नही हुआ है तथा न ही विवादित भूमि पर क्रेता नाथू का कब्जा काश्त होना ही साबित हुआ है । ऐसी स्थिति मे तहसीलदार दीगोद द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र में अंकित तथा प्रमाणित होना साबित नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा